झारखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

रॉंची,दिनांक–24.06.2020

मुख्यमंत्री सचिवालय
विज्ञप्ति संख्या- 540/2020
24 जून 2020
झारखंड मंत्रालय, रांची

====================

★ मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड राज्य हज समिति के सदस्यों के मनोनयन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी

====================

★ 14 सदस्यों का नाम झारखंड राज्य हज समिति के लिए चयन/ नामित किया गया

=====================

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड राज्य हज समिति के सदस्यों के मनोनयन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। हज कमिटी एक्ट- 2002 के तहत कुल 14 सदस्यों का नाम झारखंड राज्य हज समिति के लिए चयन/ नामित किया गया है।

★ सदस्य के रूप में इन्हें किया गया है नामित

झारखंड राज्य हज समिति में विधानसभा सदस्यों में से 3 नाम नामित किए गए हैं। इनमें श्री आलमगीर आलम , पाकुड़, डॉ सरफराज अहमद ,गांडेय गिरिडीह और डॉ इरफान अंसारी , जामताड़ा शामिल है। वही, स्थानीय निकायों में से 3 सदस्यों के रूप में मधुपुर के वार्ड पार्षद श्री मुश्ताक अहमद, हुसैनाबाद नगर परिषद के उपाध्यक्ष श्री गयासुद्दीन सिद्दीकी और चतरा नगर निकाय के वार्ड पार्षद श्री आबिद हुसैन शामिल है। इसके अलावा मुस्लिम धर्मशास्त्र एवं कानून के जानकारों में इमारत ए शरिया झारखंड के काजी शरीयत श्री मुफ्ती मोहम्मद अनवर कासमी, एदार ए शरिया झारखंड के नायब काजी ए शरिया मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैजुल्लाह मिस्बाही और शिया प्रतिनिधि के रूप में सैयद तहजीबुल हसन रिज़वी को हज समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा मुस्लिम स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं में जमशेदपुर के श्री शेख बदरुद्दीन एवं मुख्तार सफी तथा रांची के मोहम्मद इकबाल आलम और मोहम्मद मुनीर आलम एवं धनबाद के श्री मुफ्ती अब्दुल को हज समिति सदस्य के तौर पर नामित किया गया है।

###

=================

#Team PRD (CMO)